

urgent

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-111)/2018/

दिनांक :

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 13708/2018 डॉ0 राधाकृष्णन नर्सिंग इन्स्टी., जोधपुर बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 13819/2018 श्री दादू दयाल स्कूल नर्सिंग, जोधपुर बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा 13711/2018 भरत शिक्षण संस्थान, हरियाडा, जोधपुर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक : 13.09.2018 की पालना में उक्त याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीय निर्देशानुसार सत्र 2018-19 में जीएनएम प्रशिक्षण हेतु निजी नर्सिंग संस्थाओं का नाम उनके सम्मुख अंकितानुसार विभाग द्वारा जारी निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में शामिल किया जाता है। उक्त संस्थान में छात्रों का प्रवेश माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीय होगा :-

क्र. स.	उसी सूची की क्रम संख्या	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फंडरेशन कोटे से
1.	153.	उक्त निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित पत्रानुसार डॉ0 राधाकृष्णन इन्स्टी. ऑफ नर्सिंग, 61-62 करणी नगर, बासनी, प्रथम फेज, जोधपुर	जोधपुर	30	15	15
2.	154.	उक्त निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित पत्रानुसार श्री दादू दयाल स्कूल ऑफ नर्सिंग, 87-88 पार्श्वनाथ कॉलोनी, कायलाना चौराहा, जोधपुर	जोधपुर	50	25	25
3.	155.	उक्त निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित पत्रानुसार भरत स्कूल ऑफ नर्सिंग, 70 गजसिंह कॉलोनी, अपोजिट आर्मी स्कूल, अजमेर रोड, जोधपुर	जोधपुर	30	15	15

शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।

रक्षित -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-111)/2018/1597

दिनांक : 17/9/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को उनके द्वारा दी गई टिप्पणी के क्रम में।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फंडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राइवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फंडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स, जोधपुर, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु में अपलोड करने का श्रम करे।
7. जैनिथ आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा0.लि0, मालवीय नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018-19 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर